

समाहरणालय, मुंगेर

(मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग)

अधिहरित (Confiscated) वाहनों की निलामी की अल्पकालिन सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मादक द्रव्यों के व्यापार आदि में प्रयुक्त वाहनों का राजसात किया गया है। वाहनों की सूची, थाना कांड संख्या, अधिहरण वाद संख्या, न्यूनतम निर्धारित मूल्य एवं रक्षित शुल्क के रूप में जमा की जाने वाले राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है-

क्र०	वाहन का विवरण	थाना कांड सं०	अधिहरण वाद सं०	वाहन स्वामी का नाम	न्यूनतम निर्धारित मूल्य (रु०) में	रक्षित शुल्क (रु०) में
1	2	3	4	5	6	7
1	टैम्पू रजि० नं०- BR08P-3352	कासिमबाजार थाना कांड सं० 123/2018	04/ 2018-19	मुन्ना कुमार, पे०- स्व० अधिक पासवान, सा०- गौरीपुर, थाना- नयारामनगर, जिला- मुंगेर	53,000/-	5,300/-
2	हीरो होण्डा मोटरसाईकिल चेचिस नं०- MBLHAW08 6KHC-32151 इंजन नं०- HA10AGKHC F032	न्यारामनगर थाना कांड सं० 168/2019	50/ 2019-20	दिनेश तुरी, पे०- स्व० ठाकुर तुरी, सा०- उभी वननरसा, थाना- बरियारपुर, जिला- मुंगेर	27,000/-	2,700/-
3	मोटरसाईकिल रजि० नं०- BR08E- 6015 चेचिस नं०- MDZ11CZ16 RHO-8388	ईस्टर्कॉलोनी थाना कांड सं० 93/2019	22/ 2019-20	रवि कुमार, पे०- प्रकाश यादव, सा०- नयागांव, कब्रगाह थाना- ईस्टर्कॉलोनी, जिला- मुंगेर	31,000/-	3,100/-
4	हीरो होण्डा पैशन प्रो मोटरसाईकिल रजि० नं०- PB-02BS- 3732	जमालपुर थाना कांड सं० 27/2019	12/ 2019-20	रविन्द्र कुमार, पे०- चुरामन तांती, सा०- छोटी दौलतपुर, थाना- जमालपुर, जिला- मुंगेर	11,000/-	1,100/-


नीलामी निविदा सह डक प्रणाली के द्वारा "जहाँ है जैसे है" के रूप में अधोहस्ताक्षरी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारियों की समिति के द्वारा दिनांक 18.01.2021 को 3:00 बजे अपराह्न से संग्रहालय सभागार, मुंगेर में की जाएगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान,

तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें निम्नवत हैं-


- (1) न्यूनतम रक्षित शुल्क से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- (2) वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से की जाएगी। अर्थात् एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे वाहनों की नीलामी की जाएगी।
- (3) इच्छुक आवेदक को नीलामी में भाग लेने के पूर्व अपने आवेदन के साथ सुरक्षित जमा के रूप में वाहन के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 10 (दस) प्रतिशत (कॉलम-7) के अनुसार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर के पद नाम से मुंगेर शाखा पर भुगतये निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में नगद जमा किये जाने का प्रावधान है।
- (4) इस नीलामी में नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में नगद जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर द्वितीय उच्चतम बोली वाले व्यक्ति को सफल अंतिम व्यक्ति माना जाएगा।
- (5) अधिकतम बोली लगाने वाले आवेदक की नीलामी राशि तत्काल जमाकर वाहन "जहाँ है जैसे है" रूप में ले जाना होगा।
- (6) असफल आवेदकों के उक्त सुरक्षित जमा राशि को नीलामी के पश्चात् वापस कर दिया जाएगा परन्तु नीलामी में भाग लेकर एवं अधिकतम बोली लगाने के पश्चात् नीलामी नहीं लेने पर उक्त राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
- (7) इच्छुक आवेदन का पै नं० होना अनिवार्य होगा तथा लगायी गई बोली से संबंधित भुगतान किये गये रकम के विरुद्ध आयकर एवं अन्य कर का भुगतान वे स्वयं करने हेतु जिम्मेवार होंगे।
- (8) यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामकर्ता वाहन संबंधी किसी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- (9) सफल बोली दाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को हस्तारित कराना होगा। नीलामकर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसके किसी भी बिन्दु के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा।

माननीय न्यायलय के आदेश के आलोक में संबंधित वादों में नीलामी की कार्यवाही न्याय निर्णय के अनुसार स्वीकार होगी।

इच्छुक उम्मीदवार अपना निविदा/आवेदन अभिप्रमाणित फोटो, अपनी पहचान पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आदि कागजातों को संलग्न कर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 18.01.2021 के अपराह्न 1:00 बजे तक अधीक्षक मद्यनिषेध, मुंगेर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी अधीक्षक मद्यनिषेध, मुंगेर के कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।


02.01.21

सुनील कुमार सिंह
अधीक्षक मद्यनिषेध
मुंगेर।


जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,
मुंगेर